रजिस्ट्री सं डी एल (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 1991/चैत्र 5, 1913
No. 188] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 1991/CHAITRA 5, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1991

का. आ. 212 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए/91—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 134(अ)/18कक/आई डी. आर. ए/79, तारीख 13 मार्च, 1979 द्वारा तथा उपांतरित आदेश सं. का. आ. 529(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) सचिव, श्रम एवं कुटीर उद्योग विभाग पश्चिम बंगाल सरकार को जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है मैसर्स इंडिया

वैल्डिंग एण्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, पश्चिम बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त अधिसूचित आदेश को उपर्युक्त पांच वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रभावी बना रहना चाहिए और उसमें 31 मार्च, 1991 तक को, जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, अतिरिक्त अवधि के लिए इसे जारी रखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे, (देखिए भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 512(अ)/18कक/आई. डी आर. ए/79 तारीख 4 सितम्बर, 1979, सं. का. आ. 749(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए/80, तारीख 5 सितंबर, 1980 सं. का. आ. 684(अ)/18कक/आई. डी. आर ए. 81, तारीख 4 सितंबर, 1981, सं. का. आ. 125(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 5 मार्च 1982, सं. का. आ. 648(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 4 सितंबर 1982, सं. का. आ. 158(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 4 मार्च, 1983, सं. का. आ 386(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 937(अ)/18कक/आई. डी. आर ए./83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983, सं. का. आ. 470(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 947(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 18 दिसम्बर, 1984, सं का. आ. 257(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए/85, तारीख 28 मार्च, 1985, सं. का. आ. 119(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./86, तारीख 27 मार्च, 1986, सं. का. आ. 268(अ)/18कक/आई. डी. आर ए. 87, तारीख 30 मार्च, 1987, सं. का. आ. 325(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988, सं का. आ. 248(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989, तथा सं. का. आ. 276(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./90, तारीख 30 मार्च, 1990

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 5 सितंबर, 1991 तक की और अवधि के लिए रखा जाए;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 5 सितंबर, 1991 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(11) 80-सी. यू. एस.]

एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1991

S.O. 212(E)|18AA|IDRA|91.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 529(E)|18AA|IDRA|74, dated the 6th September, 1974, as modified by the Order No. S.O. 134(E)|18AA|IDRA|79, dated the 13th March, 1979 (hereinafter referred to as said order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed

and Sick Industries Department, Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Re-construction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of Messrs India Belting and Cotton Mills Limited, Serampore, West Bengal (hereinafter referred to as the said Industrial Undertaking) for a period of five years from the 6th September, 1974;

And whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1991 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development),

S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982,
S.O. 749(E)|18AA|IDRA|80, dated the 5th September, 1980,
S.O. 684(E)|18AA|IDRA|81, dated the 4th September, 1981,
S.O. 125(E)|18AA|IDRA|82, dated the 5th March, 1982,
S.O. 618(E)|18AA|IDRA|82, dated the 4th September, 1982,
S.O. 158(E)|18AA|IDRA|83, dated the 4th March, 1983,
S.O. 386(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983
S.O. 937(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,
S.O. 470(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,
S.O. 947(E)|18AA|IDRA|84, dated the 18th December, 1984,
S.O. 257(E)|18AA|IDRA|85, dated the 28th March, 1985,
S.O. 119(E)|18AA|IDRA|86, dated the 27th March, 1986,
S.O. 268(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,
S.O. 325(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,
S.O. 248(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989 and
S.O. 276(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period upto 5th September, 1991.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 5th September 1991.

[File No. 2(14)/80-CUS]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991